कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

Spl. Sec.
O. S. D. (K)

सं0 एल0ए0/एस0एस0 –I/श0स्थ0नि0/14463/2150 दिनांक:– 24.12.2014

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, कोईलवर के वर्ष 2012–13 से 13–14 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 611/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति से समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

24/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग
पत्र पंजी
02 JAN 2015
संख्या 11097
बिहार, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 611/14–15

भाग–I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	**कार्यालय, नगर पंचायत कोईलवर**
2	निरीक्षण का वर्ष एवं कार्य क्षेत्र	**वितीय वर्ष** 2012-13 **एवम्** 2013-2014 तक संबंधित लेखा अभिलेखों की जाँच
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	01.04.2012 से 31.03.2014 तक
4	लेखापरीक्षा की अवधि	26.05.2014 से 31.05.2014 तक
5	कार्यालय प्रधान का नाम	शिवचन्द्र प्रसाद, कृष्ण मोहन सिंह
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यों के नाम	श्री **विश्वपति** सिंह, स. ले. प. अ. श्री **चितरंजन कुमार**, स. ले. प. अ. श्री **चन्दन पासवान** , ले. प. **श्री राकेश कुमार सिंह, ले.प.**
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	**श्री शम्भू प्रसाद गुप्ता**
8	क्या विभागीय उच्चाधिकारी, वित्त विभाग द्वारा लेखा अभिलेखों का निरीक्षण किया गया था ?	नहीं
9	सामान्य अभ्युक्तियाँ	सामान्य रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था।

10	क्या कार्यालय प्रधान के साथ आपत्तियों पर विचार–विमर्श किया गया ?	हाँ, दिनांक 24.05.2014 को लेखा परीक्षा के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर चर्चा की गई।

11 दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय नगर पंचायत, कोईलवर द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। यदि इकाई द्वारा कोई सूचना गलत दी गई है तो उसका उत्तरदायित्व कार्यालय, महालेखाकार (ले. प.), बिहार, पटना का नहीं होगा।

12 अधिदृश्य (आय–व्यय)

नगर पंचायत, कोईलवर सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्रोत से प्राप्त आय से वित्तपोषित होती है। वर्ष 2012–13 से 2013–14 तक के आय–व्यय विवरणी का सार निम्न प्रकार है –

प्रारम्भिक शेष	21854934
प्राप्ति	45487641
कुल प्राप्त राशि	67342575
कुल व्यय	31711650
अंतशेष	35630925

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– III पर संलग्न)

13 सरकारी अनुदान (382.65 लाख)

सरकारी अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया। कार्यालय में संधारित विभिन्न रोकड़ बहीयों के अवलोकन से पता चला कि 2012–13 से 2013–14 में नगर पंचायत, कोईलवर को सरकारी अनुदान के रूप में राशि 38264584/प्राप्त हुआ। विवरणी इस प्रकार है–

क्र0सं0	वर्ष	राशि
1.	2012–13	15000286/–
2.	2013–14	23264298/–
		38264584/–

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– IV पर संलग्न)

सभी प्राप्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायी जाय।

साथ ही साथ अनुदान पंजी एवं अनुदान रिनिंग पंजी के नहीं संधारित करने के कारण से दल को अवगत करायी जाय।

125

14 अंतशेष

क्र0सं0	मद का नाम	रोकड़ बही का अंतशेष	पासबुक अंतशेष	अन्तर की राशि
01	बी0आर0जी0एफ0	3332484.30	305388.30	278601.00
02	एस0जे0एस0आर0	7586041.65	72,05,169.65	380872.00

रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के अन्तर का समाशोधन विवरणी तैयार कर अगले लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराया जाय।

15 सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत, कोईलवर में लेखाओं का संधारण संतोषप्रद नहीं था। उसमें बहुत ही सुधार की जरूरत है। बहुत से मुख्य लेखा जैसे कि वार्षिक लेखा, बन्दोबस्ती पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया गया था। प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं से स्पष्ट है कि नियमावली में दिये गये अनुदेशों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की अनियमितताएँ हुई। अतः लेखाओं के संधारण में अधिकारियों का ध्यान देना अपेक्षित है।

भाग– II (क)– शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका सं.– 1 बस, जीप, टैक्सी स्टैण्ड की बन्दोवस्ती

कार्यालय नगर पंचायत, कोईलवर के सैरातों से सम्बन्धित संचिका वर्ष 2013–14 बस, जीप, टैक्सी स्टैण्ड की बन्दोवस्ती के अवलोकन से निम्न तथ्य प्रकट हुई–

(1) दिनांक 17–03–2013 को कोईलवर नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत बस, जीप, टैक्सी स्टैण्ड की बन्दोवस्ती हेतु बन्दोवस्ती सूचना आमंत्रित की गई थी जिसकी बन्दोबस्ती राशि 15.12 लाख निर्धारित थी।

(2) श्री रमेश कुमार ने दिनांक 20–03–2013 को अधिकतम बोली 20.02 लाख लगाई अगर उनसे 3% मुद्रांक शुल्क रू. 60,060.00 की राशि कार्यालय द्वारा नहीं ली गयी।

(3) दिनांक 04–04–2013 के पूर्व बन्दोवस्तीधारी श्री रमेश कुमार द्वारा 50% राशि यानि रू. 10,01,000.00 जमा कर दी थी मगर पूरी राशि यानि 20,02,000.00 जमा नहीं करने के कारण इन्हें परवाना/कार्यादेश निर्गत नहीं किया जा रहा था। श्री रमेश कुमार द्वारा दिनांक 05.04.2013 को कार्यालय पत्र सं0 78 दिनांक 04.04.2013 के आलोक में आवेदन दिया गया कि शेष राशि रू. 10,01,000 दो किस्तों (प्रथम किस्त जून 2013 एवं द्वितीय किस्त सितम्बर 2013) में जमा कर दूँगा। इस परिप्रेक्ष्य में कार्यालय द्वारा एक पत्र तैयार किया गया मगर उसे निर्गत नहीं किया गया यानि

(127)

कार्य पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया। इस प्रकार 5 माह 15 दिन तक श्री रमेश कुमार को परवाना निर्गत नहीं किया । दिनांक 14.09.2013 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा परवाना निर्गत किया गया जिसमें बन्दोवस्ती 15 सितम्बर 2013 से 31.03.2014 तक की गई।

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 5 माह 15 दिन तक वसूली हेतु विभागीय आदेश भी नहीं निकाला गया और न हीं श्री रमेश कुमार की वन्दोवस्ती (पुर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण) ही रद्द की गयी। इसके साथ– साथ कार्यपालक पदाधिकारी सशक्त समिति का हवाला देते हुई श्री रमेश कुमार को दिनांक 01.04.2013 से 14.09.2013 वसूली नहीं करने के कारण 5 माह 15 दिन हेतु रू.9,17,581.00 की राशि माफ कर दी। इस कृत के कारण नगर पंचायत, कोईलवर को वित्तीय क्षति रू. 9,17,581 हुई।

लेखापरीक्षा को यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस प्राधिकार से रू. 9,17,581 माफ कर दी गयी। अगर श्री रमेश कुमार पूर्ण राशि देने में सक्षम नहीं थे तो क्यों नहीं उनकी वन्दोवस्ती रद्द कर द्वितीय अधिक बोली बोलने वाले डाकवक्ता को आमंत्रित किया गया। नियमानुसार पूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य था लेकिन न तो बन्दोवस्ती रद्द की गई और पुनः 5 माह 15 दिन बाद परवाना निर्गत कर दिया गया।

जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी से कारण पूछकर अंकेक्षण दल को सूचित किया जायेगा। जवाब संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि रू. 9,17,581 की राशि को माफ कर देना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रकरण के उच्चस्तरीय जॉच की आवश्यकता है। जॉचापरान्त कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये। जॉच का निष्कर्ष आनेतक राशि 917581 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं.–2 सोडियम वेपर लाइट की खरीदारी–200 पीस

सोडियम भेपर लाईट की खरीदारी से संबंधित संचिका के अवलोकन से निम्नलिखित तथ्य दृष्टिगोचर हुई।

(1) नगर पंचायत वोर्ड की बैठक दिनांक–13/08/13 के प्रस्ताव संख्या–5 में यह निर्णय लिया गया कि सड़कों पर रौशनी के लिए सोडियम भेपर लाइट एवं सफाई उपकरण की खरीदारी 13वीं वित्त आयोग द्वारा प्राप्त राशि से की जायगी।

(2) तत्पश्चात एक अल्पकालिक निविदा 4/2012–13 पत्रांक सं0–546/27–12–12 सामानों के क्रय के लिए निकाली गयी।

(3) निविदा के आलोक में 13 निविदादाता ने निविदा डाली।

(4) तुलनात्मक विवरणी बनाया गया, एवं तुलनात्मक विवरणी के आधार पर सशक्त स्थायी समिति में यह निर्णय लिया कि सबसे कम दर वाले निविदादाता भोजपुर इंटरप्राइजेज, आरा का चयन किया गया।

(5) सशक्त स्थायी समीति ने अपने बैठक –20/09/13, प्रस्ताव सं0–8 में 401 स्थानों का चयन सोडियम भेपर लाईट जगाने के लिए किया।

(6) सोडियम भेपर लाईट 100 पीस– 28/10/13 को एवं 100 पीस 2/1/14 को नगर पंचायत को उपलब्ध कराया गया, जिसे भंडार पंजी पृष्ठ–35 में दर्ज किया गया।

(7) सहायक अभियंता "विधुत आपूर्ति अनुमंडल, आरा ग्रामीण द्वारा तकनीक जांच की गयी (31/10/13) को एवं सामान सही पाया गया।

(8) राशि का भुगतान वैट सहित किया गया।

(9)

क्र0सं0	चेक नं0 दिनांक	राशि	
1.	426667 31.10.13	592746 –	100 पीस
2.	426670 22.01.14	296373 –	50 पीस
3.	619236 10.02.14	296373 –	50 पीस
		11,85,492	200 पीस

(10) आपूर्ति आदेश पत्र सं0 239/25–10–13 द्वारा निर्गत किया गया

(11) नगर पंचायत के 14 वार्डों में कुल 200 स्थानों पर सोडियम भेपर लाइट लगायी गयी। जिसका सत्यापन संबंधित वार्ड पाषर्दो द्वारा दी गयी।

अंकेक्षण आपत्ति–

(1) सोडियम भेपर लाईट टेक्नीकल स्पेसीफिकेसन की वस्तुएँ हैं एवं इसकी निविदा आवश्यक थी। (a) तकनीकि (b) वित्तीय तकनीकि निविदा की समीक्षा एवं स्वीकार्य होने के बाद ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाना चाहिए परन्तु संचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट पता चलता है कि तकनीकि निविदा मांगी ही नहीं गयी थी या समर्पित नहीं की गयी थी। तकनीकि निविदा की स्वीकृति/चयन में एक तकनीकि व्यक्ति की उपस्थित अनिवार्य होनी चाहिए परन्तु निविदा का चयन सशक्त अस्थायी समिति द्वारा किया गया जिसमें कोई भी तकनीकि व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे। अतः निविदा के चयन की प्रक्रिया मान्य नहीं है। अतः सफल निविदादाता चयन नियमानुसार नहीं किया गया।

(2) अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सुचना संख्या–04/2012–13 के क्रम0 सं0– 3 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि वैट की कटौती कार्यालय द्वारा की जाएगी, परन्तु समर्पित अभिश्रव के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है,कि अंतिम भुगतान के समय वैट की कटौती नहीं की गयी, फलस्वरूप राशि–107292/– का अधिक भुगतान किया गया।

(3) इसी विषय से संबंधित एक अन्य संचिका के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि 02.12.13 की तिथि तक विद्युत विभाग का कोई लाइन नगर पंचायत के पास नहीं था। अतः सोडियम भेपर लाइट हेतु अलग ट्रान्सफर्मर एवं लाइन विस्तार हेतु पत्रांक 239/25–01–13 के द्वारा विद्युत विभाग का अनुरोध किया गया था जिसके जबाब में विद्युत विभाग द्वारा पत्रांक 03–11–13 के द्वारा 804775/ का मांग भेजा गया।

(4) पुनः नगर पंचायत द्वारा 200/–रूपयों का रसीद कटा कर कनेक्शन लिया गया(01/11/13)

(5) पर्यवेक्षण शुल्क की राशि 928601 चेक सं. 99209 दिनांक 09.12.13 की तिथि में विद्युत विभाग के खाता में नगर पंचायत द्वारा जमा किया गया।

(6) जब 02.12.13 की तिथि तक नगर पंचायत के पास जब कोई लाइन नहीं था तो सहायक अभियंता ने 31.10.13 को लाइट की जांच कर सामग्री को सभी तरह से सही ठहराया।

(7) सामग्री की खरीदने का निर्णय लेने से पहले कार्यालय द्वारा इस बिन्दु पर पर विचार क्यों नहीं किया गया कि जब लिगल कनेक्शन नहीं है तो लाइट का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

(8) कार्यालय द्वारा मौखिक रूप में यह बताया गया कि जब लाइट का अधिष्ठापन किया गया तो ट्रान्सफर्मर सट डाउन हो जा रहा था, इसलिए अलग ट्रान्सफर्मर लगाने पर विचार किया गया।

जब सट डाउन हो जा रहा था, एवं अभी तक अलग लाइन एवं ट्रांसफर्मर नगर पंचायत के लिए विद्युत विभाग द्वारा नही दिया गया है, तो आज की तिथि में सभी 200 अधिष्ठापित लाइट कैसे जल रहा है/काम कर रहा है।

इस परिस्थिति में यह माना जा सकता है कि 200 सोडियम भेपर लाइट अधिष्ठापित तो हुआ पर लिगल कनेक्शन एवं ट्रांस्फर्मर के लोड संभालने की क्षमता कम होने के कारण सही तरीके से काम नहीं कर रहा है।

इतनी बड़ी राशि 1185492/ व्यय करने के पहले अगर सभी विन्दुओं पर विचार किया जाता तो नगर पंचायत द्वारा सरकारी राशि को बर्बाद करने से बचाया जा सकता था।

(9) साथ ही साथ सहायक अभियंता द्वारा सामग्री का निरीक्षण भी संदिग्ध प्रतीत होता है।

कार्यालय द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया। अतः कंडिका के निराकरण तक रू. 1185492 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं.–3 सैरात (बालू घाट--ट्रक/ट्रैक्टर पेशा कर) की बंदोवस्ती नहीं होने के कारण क्षति

सैरातों से संबंधित संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2012–13 कोईलवर, नगर पंचायत में अवस्थित विभिन्न बालू घाट से बालू से लदे ट्रक/ट्रैक्टर से पेशाकर चुंगी वसूली हेतु बंदोवस्ती की सूचना निकाली गयी थी जिसमें बन्दोबस्ती की न्यूनतम डाक की राशि 72,00,000 निर्धारित थी।

कार्यालय द्वारा बताया गया कि वर्ष 2012--13 में रू.72,00,000 में डाक हुई थी और फिर किसी शिकायत के कारण वर्ष 2012--13 में ही विभागीय वसूली की गई थी मगर इससे संबंधित कोई भी संचिका एवं विभागीय वसूली से संबंधित जमा राशि आदि की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

पुनः वर्ष 2013–14 में सैरातों की बंदोवस्ती हेतु निविदा निकाली गई मगर बालू घाट से बालू लदे से लिए जाने वाले पेशाकर सैरात वाले कॉलम में यह प्रकाशित किया गया था कि अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

अगर 2013–14 में इस सैरात को बंदोवस्त किया जाता तो निश्चित ही रू. 72,00,000 या उससे अधिक की राशि नगर पंचायत कोष को प्राप्त होता।

जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि तत्कालीन सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के आदेश से बन्दोबस्ती रोकी गयी थी। संचिका अगले अंकेक्षण के समक्ष उपलब्ध करायी जायेगी। जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी।

अतः वर्ष 2013–14 में सैरात की बन्दोबस्ती नहीं किये जाने के प्रकरण की विभागीय स्तर पर जॉच की जाय एवं जॉच के फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

कंडिका सं.–4 योजना मद में कटौती की गई राशि को संबंधित राजस्व शीर्ष में जमा नहीं किया जाना रू.4.21 लाख

कार्यालय नगर पंचायत, कोइलवर द्वारा उपलब्ध कराये गये योजना विवरणी से स्पष्ट है कि विभिन्न योजनाओं में काटी गई राशि सम्बंधित राजस्व शीर्ष में नहीं जमा की गयी है। विवरणी निम्न है–

क्र0सं0	मद का नाम	वर्ष	बिक्री कर	आयकर	रायल्टी	श्रमिक सेस
01.	BRGF	2013–14	62996	25197	10617	15298
02.	4th Fc	2013–14	61803	24720	12934	--------
03	स्वयं श्रोत	2013–14	117717	47087	17319	25543
		कुल	242516	97004	40870	40841

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– V पर संलग्न)

अतः उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि रू.4,21,231 (242516+ 97004+ 40870+ 40841) की कटौती कार्यालय द्वारा की गयी है। कार्यालय द्वारा उपलब्ध विवरणी केवल 2013–14 के थे। वर्ष 2012–13 में कार्यालय द्वारा यह बतलाया गया है कि 4 राज्य वित्त एवं तेरहवीं वित्त से कोई योजना नहीं ली गई थी। केवल स्वयं के स्रोत से वर्ष 2012–13 में 6 योजनायें ली गयी थी।

जवाब में कार्यालय द्वारा बताया गया कि विभिन्न मदों से काटी गयी राशि नगर निधि में ही शेष रखी हुयी है। अंकेक्षण के सुझाव को ध्यान में रखते हुये राशि संबंधित शीर्ष में जल्द ही जमा करा दी जायेगी। अतः विभिन्न मदों में कटौती की गई करों/सेस की राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा किया जाये तथा जमा से संबंधित साक्ष्यों को इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

कंडिका सं.–5 विलम्ब से पूर्ण किये गये कार्यों पर विलम्ब दण्ड की वसूली नहीं किया जाना– 1.13 लाख

नगर पंचायत, कोईलवर ने अंकेक्षण के दौरान योजना संचिकाओं के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि तीन योजनाएँ ससमय समाप्त नहीं हुई।

120

बिहार पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के फार्म –ई–2 में कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्ट के पारा–2 में यह स्पष्ट उल्लेख है, कि नियतसमय (कार्यादेश के अनुसार) पर कार्य समाप्त नहीं होने पर संवेदक से प्रतिदिन प्राक्कलित राशि का 1/2% और अधिकतम 10% की राशि की कटौती अंतिम भुगतान के समय काटी जानी चाहिए। परन्तु विवरणी में संलग्न तीन योजना संचिका के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि तीनो योजना नियत समय पर (कार्यादेश के अनुसार) समाप्त नहीं की गयी, परन्तु संवेदक को अंतिम भुगतान के समय उपर्युक्त नियम के अनुसार राशि नहीं काटी गयी फलस्वरूप संवेदक को रू. 112812/– का अधिक भुगतान हुआ। कार्यालय द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया।

अतः विलम्ब से कार्यान्वित योजनाओं में विलम्ब दण्ड की वसूली कर संबंधित साक्ष्यों को अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाये।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VI पर संलग्न)

कंडिका सं.–6 विविध रसीदों का जमा नहीं होना

नगर पंचायत, कोईलवर के लेखा वर्ष 2012–13 एवं 13–14 के विभिन्न रसीदों के अवलोकन में पाया गया कि विविध राशि 1245750 का जमा संबंधित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। ये विविध रसीद रमेश कुमार राम को निर्गत की गयी थी। राशि 1245750 को संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से वसूलकर तथा पंचायत कोष में जमाकर अंकेक्षण दल को दिखाया जाय।

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VII पर संलग्न)

विदित है कि व्यक्तियों से राशि प्राप्त करने के एवज में ननी रसीद निर्गत की गयी परन्तु प्राप्त राशि का हिसाब रखने के लिए दैनिक संग्रहण पंजी नहीं संधारित की गयी। नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि राशि जमा करा दी जायेगी। अतः राशि को जमा किये जाने से संबंधित दस्तावेजों/साक्ष्यों को इस कार्यालय को प्रेषित किया जाये।

कंडिका सं.–7 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय **रूपया 1.95 लाख**

बिहार सरकार के पत्र सं0–4 न सं 01.1012/87–1231/न.वि.वि. दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गई थी। परन्तु लेखापरीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही के अवलोकन से यह पता चला कि नगर पंचायत, कोईलवर में वर्ष 2012–13 एवं 13–14 के दौरान रू. 194958 दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया जो सरकार के निर्देशों के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था। विवरणी निम्न है–

क्र.सं.	वाउचर सं.	राशि
01	8	25416
02	32	44076
03	93	63072
04	----	30885
05	12	31509
	कुल	194958

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण एवं जनहित में दैनिक मजदूरों से कार्य कराया जा सकता है। जवाब मान्य नहीं है। अतः दैनिक मजदूरों पर व्यय की गई राशि की राज्य सरकार से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त होने तक भुगतान की गई राशि 194958 को अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

कंडिका सं.–8 राशि का अवरोधन रू. 28.88 लाख

वर्ष 2012–13 से 2013–14 की अवधि के अंकेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ कि नगर विकास विभाग, पटना से चेक सं0–090724/22–05–07 द्वारा राशि 28,87,875/– कार्यालय भवन के निर्माण के लिए नगर पंचायत, कोईलवर को उपलब्ध करायी गयी थी। परन्तु अंकेक्षण अवधि तक राशि न तो खर्च की गयी और नहीं उसे वापस विभाग को लौटाने की दिशा में कोई सकारात्मक कार्यवाही की गयी।

अतः भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि को नियमानुकूल यथाशीघ्र उपयोग किया जाये।

कंडिका सं.–9 विलोपित

–हस्ता0–
(विश्वपति सिंह)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––––सह–––––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

118

सं0—एल0ए0 / एस0एस0—1 / श0स्था0नि0 **दिनांक—**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, कोईलवर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतू प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गये सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जबावदेही का दावा नहीं करता है।

-ह0-
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सोशल सेक्टर —1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0—एल0ए0 / एस.एस.—1 / श0स्था0नि0 14463/2150 **दिनांक—**24.12.2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, आरा

24/12/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र —1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

परिशिष्ट - B

117

कोईलवर नगर पंचायत

लेखा परीक्षा के दौरान जांच किये गये अभिलेखो / पंजियों की सुचि

[(प्रतिवेदन की कंड़िका ....से संदर्भित)]

1. लेखा पाल रोकड़बही
2. टेजरी पासबुक
3. बैक पासबुक
4. मनी रसीद
5. योजना संचिका
6. स्टोक रजिस्टर– एच,एम एवं स्थायी सामग्री
7. सामानों के कय से संबधित संचिका
8. सैराती से संबधित संचिका – आंशिक

क्र०सं०	लोसिंग स्लिप सं०	राशि	दिनांक	टैक्स कलक्टर
01	6801	798/-	22.2.14	मालिक रौले
02	6802	4021/-	25.2.14	" "
03	6803	1380/-	" "	" "
04	6804	321/-	" "	" "
05	6805	181/-	" "	" "
06	6806	485/-	28.02.2014	" "
07	6807	485/-	28.02.2014	" "
08	6808	604/-	" "	" "
09	6809	506/-	" "	" "
10	6810	337/-	" "	" "
11	6811	2808/-	01.03.14	" "
12	6812	2808/-	" "	" "
13	6813	539/-	5.3.14	" "
14	6814	3365/-	" "	" "
15	6815	268/-	11.03.14	" "
16	6816	400/-	12.03.14	" "
17	6817	171/-	" "	" "

116

परि 14-II (115)

कोईलवर नगर पंचायत

लेखा परीक्षा के दौरान जांच किये गये अभिलेखो / पंजियों की सुचि

[(प्रतिवेदन की कंड़िका ....से संदर्भित)]

1. सेवा पुस्त
2. [भविश्य] निधि पास बुक
3. वाद पंजी
4. सम्पति पंजी
5. लाग बुक
6. वेतन पंजी
7. अनुदान पंजी
8. चेक निर्गत पंजी
9. [वार्शिक] लेखा
10. उपयोगिता प्रमाण पत्र
11. दैनिक मजदुरो के भुगतान से संबधित पंजी
12. बजट संचिका
13. टेड लाइसेंस से संबधित संचिका , रजिस्टर
14. वे सभी अभिलेख जिनका उल्लेख परिशि ट–1 में नहीं किया गया है। / मॉग एवं वसूली पंजी
15. संचार (टेलीफोन / मोबाइल / इंटरनेट इत्यादि से संबंधित लेखा

1

क्र०सं०	प्रतिहस्त रसीदों की क्र०	राशि	दिनांक	हस्त हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	6831	2095/-	25.3.14	नरसिंह चौबे
2	6833	751/-	26.3.14	"
3	6834	9720/-	26.3.14	"
4	6835	3979/-	27.3.14	"
5	6836	340/-	"	"
6	6837	1250/-	"	"
7	6838	15,552/-	28.3.14	"
8	6839	111/-	26.3.14	"
9	6840	409/-	29.3.14	"
10	6841	2209/-	05.4.14	"
11	6842	556	07.4.14	"
12	6843	1756/-	"	"
13	6844	5890/-	"	"
14	6845	55,216/-	"	"
15	6846	926/-	10.4.14	"
16	6847	5156/-	11.4.14	"
17	6848	4516/-	"	"
18	6849	237/-	"	"
19	6850	556/-	"	"
20	6852	371/-	21.4.14	"
21	6853	481/-	"	"
22	6854	815/-	"	"
23	6855	65/-	"	"
24	6856	308/-	"	"
25	6857	308/-	"	"
26	6858	129/-	"	"
27	6859	371/-	"	"
28	6860	543/-	24.4.14	"
29	6861	371/-	"	"

परिशिष्ट - 8 III

कंडिका - 1 में संदर्भित

आय-व्यय विवरणी :-

क्र०सं०	मदों का नाम	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	व्यय	अंत शेष
01	पी०एल०एकाउण्ट	16143733	37283199	28714533	24712399
02	बी०आर०जी०एफ०	2470308	2236842	1374666	3332484
03	~~सतुथ राज्य वित्त आयोग~~	~~5629673~~	~~14449117~~	~~7407742~~	~~19338048~~
04	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	3240893	5967600	1622451	7586042
		21854934	45487641	31711650	35630925

-10-

(44)

113

PL A/C

		वित्तीय वर्ष--2012--13	वित्तीय वर्ष-2013-14
1	प्रारंभिक शेष	1,61,43,733	97,49,046
2	वर्ष में प्राप्ति		
	(i) अनुदान	1,20,00,286	2,07,38,966
	(ii) ~~ब्याज~~ स्वयं के स्रोत	34,43,970	10,99,977
	(iii) अन्य	—	—
3	कुल प्राप्ति (I+II+III)	1,54,44,256	2,18,38,943
4	कुल उपलब्ध राशि (1+3)	3,15,87,989	3,15,87,989
5	व्यय		
	(i) योजना पर व्यय	2,18,38,943	68,75,590
	(ii) अन्य व्यय	—	—
6	कुल व्यय (I+II)	2,18,38,943	68,75,590
7	अन्य शेष (4–6)	97,49,046	2,47,12,399

3/5/16

नगर पंचायत, कोईलवर

(15)

BRGF

मदवार / योजनावार (2012–13) 2013-14

1	प्रारंभिक शेष	24,70,308	19,24,155
2	वर्ष में प्राप्ति		
	(1) अनुदान	शून्य	20,68,018
	(2) ब्याज	61,418	1,07,406
	(3) अन्य	शून्य	शून्य
3	कुल प्राप्ति (1+2+3)	61,418	21,75,424
4	कुल उपलब्ध राशि	25,31,726	40,99,579
5	व्यय		
	(1) योजना पर व्यय	6,07,571	7,67,061
	(2) अन्य व्यय	शून्य	3.70
6	कुल व्यय (1+2)	6,07,571	7,67,094.70 767064.70
7	अंत शेष (4-6)	19,24,155	3332484.30 3332514.30

पासबुक - PNB - आरा - 14940001005 46888

₹ 3053883.30

आ/प्रा/पं

-12- नगर पंचायत, कोईलवर

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (16)

मदवार / योजनावार (2012–13) 2013-14

1	प्रारंभिक शेष	3240,892·65	58,47,307·65
2	वर्ष मे प्राप्ति		
	(1) अनुदान	30,00,000·00	25,20,332·00 *
	(2) ब्याज	1,56,120·00	2,91,148·00
	(3) अन्य	शून्य	शून्य
3	कुल प्राप्ति (1+2+3)	31,56,120·00	28,11,480·00
4	कुल उपलब्ध राशि	63,97,012·65	86,58,787·65
5	व्यय		
	(1) योजना पर व्यय	5,49,705·00	5,92,746·00 – 13th FC
	(2) अन्य व्यय	शून्य	4,80,000·00
6	कुल व्यय (1+2)	5,49,705·00	10,72,746·00
7	अन्य शेष (4+6)	58,47,307·65	75,86,041·65

पासबुक PNB कोईलवर — 0725000100122037

₹ 72,05,169·65

(11)

(4) ~~परिशिष्ट~~ - IV (कंडिका 2 के ...) 110

Statement showing status of Grant

2012-13

Sr. No	Cheque no/DD/Date	Amount	Detail
01	DM/10/मु/24.03.12	1,21,500/-	सामाजिक सुरक्षा कोषांग
02	DM/15/मु/26.03.12	75,000/-	कबीर अंत्येष्टि
03	DPO/Ch 710168/25.05.12	1,09,500/-	नगर शिक्षकों का मानदेय भुगतान
04	DPO/Ch 740530/2-06.12	21,000/-	— do —
05	Reg./732/12-3-12	55,700/-	Stamp duty
06	DPO/Ch 121779/5-11-12	5,000/-	नगर शिक्षक नियोजन प्रक्रिया सम्पन्न कराने हेतु
07	AG/537/13-09-12	70,460/-	Stamp duty
08	UDO/01/4-4-12	6,12,000/-	XIII F-C
09	UDO/29/19-07-12	9,98,000/-	XIII F-C
10	UDO/36/31-08-12	3,18,000/-	XIII F-C
11	DPO/41/19.9.12	2,40,000/-	नगर शिक्षकों का मानदेय भुगतान
12	DDC/Ch 086924/5.3.13	3,500/-	Census-2011
13	DDC/Ch 086912/5.3.13	2,21,200/-	Census-2011
14	DM/630/13.3.13	12,908/-	पशुगणना
15	UDO/26844/20.09.12	67,200/-	Allowance to ward Counciller
16	UDO/88/4.3.13	65,69,318/-	4th SFC
17	UDO/118/14.3.13	25,00,000/-	नागरिक सुविधा
18	UDO/1113/31.10.12	30,00,000/-	SJSRY
		1,50,00,226/-	

Chandan
Adr

(A)

(18)

2013-14

Sr. No	Letter No / date	Amount	Purpose
01	DM/Ch 141999/7.6.13	4100/-	अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के लिए
02	UDO/07/30/4/13	67,200/-	Allowance to ward Councillors
03	UDO/17/17/5/13	2,40,000/-	City Manager Allowance.
04	UDO/42/26.09.13	3,81,092/-	पेंशन
05	UDO/50/13-11-13	75,47,000/-	office building
06	UDO/89/6.2.14	47,33,000/-	— do —
07	UDO/134/15.2.14	77,66,574/-	4th SFC
08	Direct 19/7/13	2,11,000/-	XIII th FC
09		10,87,041/-	
10	UDO/24/ 19/7/13	12,22,291/-	
11	19/2/14	5,000/-	जातीय जनगणना

2,32,64,298/-